भारत की जनगणना, 1981
CENSUS OF INDIA, 1981

जनगणना निदेशकों के
द्वितीय सम्मेलन की कार्यवाही
का सारांश
(जनवरी 16-19, 1980)
मैसूर, कर्नाटक

Summary Proceedings of
the Second Conference of
Directors of Census Operations
(January 16-19, 1980)
Mysore, Karnataka

भारत के महापंजीकार का कार्यालय
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

Office of the Registrar General, India
Ministry of Home Affairs
New Delhi

भारत की जनगणना, 1981

जनगणना निदेशकों के द्वितीय सम्मेलन की कार्यवाही का सारांश

(जनवरी 16 - 19, 1980)
मैसूर, कर्णाटक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय वस्तु

क्रम सं0		पृष्ठ सं0
1.	जनगणना कार्य निदेशक, कर्णाटक द्वारा स्वागत भाषण	1
2.	कर्णाटक सरकार के राजस्व आयुक्त श्री आर0ए0 नायक द्वारा उद्घाटन भाषण	2
3.	महापंजीकार महोदय का भाषण और धन्यवाद प्रस्ताव	2- 3
4.	जनगणना की तैयारियों के बारे में सामान्य विचार-विमर्श	3- 4
5.	संक्षिप्त मकान सूची भरने के लिए अनुदेशों के बारे में विचार-विमर्श	4- 6
6.	परिवार अनुसूची भरने के लिए अनुदेशों के बारे में विचार-विमर्श	7- 12
7.	व्यक्तिगत पर्ची भरने के लिए अनुदेशों के बारे में विचार-विमर्श	13-21
8.	घेवर जनसंख्या की गणना, जाँच कार्य, प्रगणक की वर्किंग शीट आदि तैयार करने के बारे में विचार-विमर्श	21-24
9.	मकान सूची बनाने के कार्य की संवीक्षा	24
10.	उद्यम सूची भरना	24-25
11.	अन्य विषय	26-30
अनुलग्नक		
अनुलग्नक "क"	भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची	31-35
अनुलग्नक "ख"	मकान सूची बनाने के लिए कैलेण्डर -1980	36-37

जनगणना कार्य निदेशकों

के

तीय सम्मेलन की कार्यवाही का सारांश

(जनवरी 16-19, 1980)

मकान सूची बनाने के काम की व्यवस्था की समीक्षा करने और संक्षिप्त मकान सूची, परिवार अनुसूची और व्यक्ति पर्ची भरने तथा प्रगणक की ब्रीफिंग-शीट और जार तैयार करने के लिए अनुदेशों को अन्तिम रूप देने के लिए तारीख 16 जनवरी से 19 जनवरी, 1980 तक जनगणना कार्य निदेशकों का द्वितीय सम्मेलन मैसूर में आयोजित किया गया । इस सम्मेलन का उद्घाटन कर्णाटक सरकार के राजस्व आयुक्त श्री आर० ए० नायक द्वारा किया गया था । कर्णाटक के मण्डलायुक्त श्री जय कुमार अंगोलं ने भी तारीख 17 जनवरी, 1980 के दिन कुछ समय के लिए उक्त सम्मेलन में भाग लिया । सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न जनगणना निदेशालयों तथा भारत के महापंजीकार के कार्यालय के प्रतिनिधियों की सूची अनुलग्नक "क" में दी गई है ।

कर्णाटक के राजस्व आयुक्त, भारत के महापंजीकार और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कर्णाटक के जनगणना कार्य निदेशक श्री वी० के० दास ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें मैसूर में सम्मेलन में भाग लेने दूर-दूर से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत करने का अवसर मिला । उन्होंने राजस्व आयुक्त को व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाल कर उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ओर से तो सभी प्रतिनिधियों के मैसूर में ठहरने के लिए सुविधाजनक प्रबन्ध करने की पूरी कोशिश की है फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की भी असुविधा हुई हो तो उसके लिए खेद है । उन्होंने यह भी कहा कि मैसूर में रहकर वे मैसूर शहर के सुन्दर दृश्यों का आनन्द ले सकते हैं । तत्पश्चात् उन्होंने राजस्व आयुक्त से सम्मेलन का उद्घाटन करने का अनुरोध किया ।

.....2/-

महापंजीकार और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए राजस्व आयुक्त ने कहा कि देश की योजना में जनगणना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । कर्णाटक सरकार ने जनगणना को विशेष महत्व दिया । उन्होंने कहा कि योजना तभी अर्थपूर्ण सिद्ध हो सकती है जब जनसंख्या गणना सही तरीके से की जाए क्योंकि योजना के लिए आधारिक आंकड़े केवल जनगणना से ही उपलब्ध होते हैं । निर्वाचक नामावलियों का संशोधन करते समय अनेक नामों को छोड़े जाने की शिकायतों का हवाला देते हुए उन्होंने सही जनगणना किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया । योजना की दृष्टि से भरा जाने वाला प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है अत: दिए गए अनुदेशों की ओर पूरा ध्यान दें तथा फील्ड स्टाफ को गहन प्रशिक्षण देकर सही जानकारी एकत्रित करें । जिससे की गलती की कोई गुंजाइश न रहे ।

भारत के महापंजीकार श्री पी० पद्मनाभ ने यथार्थता और पर्यवेक्षण आदि महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भाषण देने के लिए राजस्व आयुक्त को धन्यवाद दिया । उन्होंने यह बताया कि सम्मेलन में जनगणना संगठन के बारे में एकत्र होकर विचार विमर्श किया जाएगा और जनगणना अनुसूचियों को भरने के बारे में अनुदेशों को अन्तिम रूप दिया जाएगा । वर्ष के दौरान समूचे देश में जनगणना प्रथम चरण में मकान सूची बनाने का कार्य किया जाएगा । इस चरण में प्रत्येक मकान के बारे में जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ आर्थिक जनगणना के लिए उद्यम सूची भी भरी जाएगी । अनुसूचियां बनाते समय राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की ओर तथा जनसंख्या की रूपरेखा का सामाजिक जनगणितीय आधार बनाने की ओर अत्याधिक ध्यान दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि अनुसूचियों और अनुदेशों को क्षेत्रीय

.....3/-

भाषाओं में अनूदित किया जाए ताकि प्रगणक उन्हें अच्छी प्रकार समझ सकें और सही आंकड़े उपलब्ध करवा सकें । उन्होंने राजस्व आयुक्त को आश्वासन दिया कि प्रशिक्षण की ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा और वे तथा उनके अन्य सहयोगी इस काम को अच्छी प्रकार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सर्वोत्तम परिणाम उपलब्ध हों । जनगणना कार्य निदेशक स्वयं को मकान सूची बनाने के काम में प्रशिक्षित करने के लिए पहले एक सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं । फरवरी-मार्च 1981 में की जाने वाली जनसंख्या -गणना की तैयारी के लिए वर्तमान सम्मेलन आयोजित किया गया है । उक्त टिप्पणियों के साथ महापंजीकार ने राजस्व आयुक्त और प्रैस के प्रतिनिधियों को धन्यवाद किया । उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि चुनाव समाप्त होने के बाद प्रैस द्वारा जनगणना का सम्यक् तौर से प्रचार किया जाएगा ।

जनगणना कार्य की तैयारियों के बारे में सामान्य टिप्पणियां देते हुए महापंजीकार ने उद्घाटन सत्र के बाद का कार्य प्रारंभ किया । उन्होंने कहा कि वे देश के अधिक से अधिक दौरे करेंगे और मौजूदा परिस्थितियों का जायज़ा लेते रहेंगे तथा राज्य सरकारों के जनगणना से संबद्ध अधिकारियों को मिलते रहेंगे । उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के जनगणना कार्य निदेशक भी इसी प्रकार की कार्रवाई करें । उन्होंने यह भी बताया कि जनगणना अधिनियम के अधीन जनगणना के दौरान एकत्रित जानकारी गोपनीय रखी जाएगी अत: उत्तरदाता को सही स्थिति बताने से डरना नहीं चाहिए । तदनुसार ही प्रगणकों को उचित रूप से प्रशिक्षण देकर तथा कारगर पर्यवेक्षण से जनगणना के दौरान सही और वास्तविक जानकारी एकत्रित की जा सकती है । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 1971 की जनगणना की तरह ही प्रशिक्षण कक्षाओं में रोल-अप-लोई प्रयोग किए जाने चाहिए । तथापि

उन्होंने यह सुझाव दिया कि [illegible] इस प्रकार के कोई संदेह हैं अत: प्रश्नों के लिए फैरो प्रिन्ट प्रतियां प्रयोग की जा सकती हैं तथा उदाहरण ब्लैक-बोर्ड पर समझाए जा सकते हैं ।

भारत के महापंजीकार ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि गन्दी बस्ती क्षेत्रों, विशेष तौर पर बम्बई, कलकत्ता आदि जैसे बड़े शहरों की गंदी बस्तियों में मकान सूची बनाने के कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ।

कोई भी क्षेत्र गणना के दौरान प्रगणक से रह न जाए इस बात का प्रभावी पर्यवेक्षण अनिवार्य है । इन सामान्य टिप्पणियों के बाद कार्यसूची की मदों पर एक-एक करके विचार किया गया ।

संक्षिप्त मकान सूची भरने के लिए अनुदेश :

इस विषय की जानकारी देते हुए भारत के महापंजीकार ने कहा कि मकान सूची बनाने के कार्य से 1981 में की जाने वाली जनगणना के लिए गणना ब्लाक बनाने के लिए आधार फ्रेम उपलब्ध होगा । मकान सूची बनाने के कार्य और वास्तविक गणना में काफी अन्तराल है अत: मकान सूची कार्य से प्राप्त फ्रेम को अद्यतन बनाना होगा । ऐसा संक्षिप्त मकान सूची के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें मकान-सूची के आवश्यक ब्यौरे हैं । कवरेज की दृष्टि से संक्षिप्त मकान सूची को सावधानी पूर्वक भरना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ।

तत्पश्चात् संक्षिप्त मकान सूची भरने के लिए अनुदेशों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया और प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का भारत के महापंजीकार द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया ।

.....5/-

मकान सूची कार्य और जनसंख्या -गणना के दौरान हुए परिवर्तनों को भी संक्षिप्त मकान सूची में ठीक करने की व्यवस्था है । तदनुसार ही यह आवश्यक है कि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर, जहां अत्यधिक गलतियां हों, संक्षिप्त मकान सूची को दुबारा भरने की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी हैमलेट की इतनी जनसंख्या नहीं है कि उसमें से अलग गणना ब्लाक बनाया जाए तो यह जरुरी नहीं कि आप प्रत्येक हैमलेट में से गणना ब्लाक बनाएं । छोटे ग्रामों के बारे में भी यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी ग्राम में तकरीबन 150 या उससे अधिक परिवार हों तो वहां पर अलग गणना ब्लाक बनाया जाए परन्तु यदि किसी गाँव में 150 से काफी कम परिवार हैं तो उसे भी अलग ब्लाक बना दिया जाए और कार्यभार की दृष्टि से इस प्रकार के एक से अधिक ब्लाक प्रगणक को [illegible] दिए जाएं ताकि परिवारों की संख्या 150 तक हो जाए । नगरीय क्षेत्रों में लगभग 120 परिवारों का कार्यभार सौंपा जाए । इससे प्रगणकों को समान मानदेय देने में सुविधा होगी ।

सभी गैर-आबाद ग्रामों को भी नम्बर दिया जाए लेकिन चार्ज रजिस्टर में यह लिख दिया जाए कि कुछ ग्राम गैर-आबाद हैं । मिजोरम के मामले में मजदूर कैम्पों को अलग ब्लाकों में दिखाया जाए यदि जनसंख्या अधिक है तो जिस ग्राम में वे हैं उसी का एक भाग समझे जाएं । उन अस्थायी झुग्गियों अथवा नई कालोनियों की भी गणना की जाएगी, जो मकान सूची कार्य के बाद बनी हों । उन्हें संक्षिप्त मकान सूची में दर्ज किया जाएगा । छोटे शहरों में मौसमी रोजगार के कारण बहुत अधिक अस्थायी जनसंख्या (Floating population) भी होगी । इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार की जनसंख्या गणना से रह न जाए । रैन-बसेरों को भी नम्बर दिया जाए

और उन्हें भी मकान सूची कार्य के दौरान गिना जाए चाहे लोग वहां रात को केवल सोने के लिए आते हों । ऐसा भी संभव है कि मकान सूची कार्य के दौरान, किसी स्थान विशेष में कुछ जनसंख्या हो लेकिन वास्तविक गणना के दौरान वे वहां न हों, इस प्रकार की जनसंख्या का संक्षिप्त मकान सूची के दौरान विशेष ध्यान रखा जाए । यद्यपि इस प्रकार के मामले कम ही होते हैं । आवासीय या गैर-आवासीय सभी जनगणना मकानों को संक्षिप्त मकान सूची में दिखाया जाएगा । यह भी बताया गया कि जनसंख्या-गणना होने तक जो भी नए मकान बन गए हों उन्हें उपयुक्त नम्बर दिया जाए । उदाहरण के लिए जनगणना मकान नम्बर 45/1 और 45/2 के बीच यदि कोई मकान बना हो तो उसे 45/1/1 नम्बर दे दिया जाए । संक्षिप्त मकान सूची का फारमेट बदलने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए । तथापि भारत के महापंजीकार ने जनगणना कार्य निदेशकों को बताया कि 1971 की जनगणना के दौरान भी संक्षिप्त मकान सूची का यह फारमेट अपनाया गया और इसको अपनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी ।

महापंजीकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संक्षिप्त मकान सूची बनाने की जिम्मेदारी चार्ज अधिकारी की होगी । उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस कार्य के लिए चार्ज अधिकारी को कुछ लिपिकीय सहायता दी जाएगी । मकान सूची कार्य समाप्त होने के 15 दिन के बाद संक्षिप्त मकान-सूची कार्य शुरू किया जाएगा और इसे वास्तविक गणना के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण से पहले तैयार कर लिया जाएगा । चार्ज अधिकारी को संक्षिप्त मकान सूची भरने के बारे में कम से कम एक दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा । जब चार्ज अधिकारी जिला या मंडल की मासिक बैठकों में भाग लेने के लिए आते हैं तो उक्त प्रशिक्षण सुविधा-जनक तरीके से दिया जा सकता है ।

महापंजीकार ने कहा कि जनगणना निदेशालय राज्य सरकारों से अनुरोध करे कि वे मकान सूची और गणना कार्य में लगे प्रगणकों और सुपरवाइज़रों को मार्गदेश देने के लिए अलग से जनगणना शीर्ष नामक लेखा-शीर्ष खोले । यह विषय विचाराधीन है ।

संक्षिप्त मकान सूची के फार्मों के मुद्रण के बारे में श्री महापंजीकार ने बताया कि जनगणना सामग्री को सामान्य तौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित करने के कार्य के विकेन्द्रीयकरण की संभावना के बारे में मुद्रण निदेशालय विचार कर रहा है ।

परिवार अनुसूची भरने के लिए अनुदेश :

परिवार अनुसूची भरने के लिए अनुदेशों को पैरा-वार पढ़ा गया और उसमें सताए गए मामलों पर भी विचार किया गया ।

नज़री नक्शे के बारे में यह सन्देह जताया कि क्या बड़े ग्रामों को पूर्ण तौर पर नज़री नक्शे में दिखाया जाए ? महापंजीकार ने कहा कि राजस्व ग्राम के साथ लगे हुए भाग के साथ केवल गणना ब्लाक को दिखाना ही काफी होगा । इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अनुदेशों में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है ।

भाग - I :

प्रश्न 1 - परिवार के मुखिया का नाम

महापंजीकार ने इस बात पर जोर दिया कि परिवार के सदस्यों द्वारा बताए अनुसार ही बिना बहस किए परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें ।

प्रश्न 2 - परिवार के मुखिया का धर्म

प्रतिनिधियों ने यह अनुभव किया कि "धर्म नहीं बताया" दर्ज करने के बारे में विस्तृत अनुदेश दिए जाएं । तथापि विचार विमर्श के बाद यह

.....8/-

स्पष्ट हुआ कि अनुदेश स्वत: स्पष्ट है फिर भी प्रशिक्षण कक्षाओं में इसे बताया जाएगा । महाराष्ट्र में एक अलग धर्म "जोरोस्ट्रीयन" को संक्षिप्त अक्षर के रूप में दर्ज करने का सुझाव नहीं माना गया । इसे तथा अन्य धर्मों के संक्षिप्त नाम प्रयोग न करके पूरा नाम लिखा जाए ।

प्रश्न 3 - क्या परिवार का मुखिया अ•जा• या अ•ज•जा• का है ?

महापंजीकार ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अधिसूचित सूची में जो नाम आते हैं केवल उन्हीं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का नाम दर्ज किया जाए । कोई भी अन्य जाति/जनजाति जो उक्त अधिसूचित सूची में नहीं है उसे अ•जा• या अ•ज•जा• नहीं माना जाएगा । अत: राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट जातियों के अतिरिक्त कोई भी जाति अनुसूचित जाति नहीं मानी जाएगी ।

प्रश्न 5 परिवार में मुख्यत: बोली जाने वाली भाषा ।

महापंजीकार ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बताए अनुसार ही भाषा दर्ज करें । प्रगणक को अपनी समझ के अनुसार बताई गई भाषा को किसी भाषा की बोलियों से सम्बद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । इस प्रकार भाषाओं को समूहबद्ध करने का कार्य बाद में भाषा प्रभाग, कलकत्ता द्वारा किया जाएगा ।

महापंजीकार ने बताया कि बेघर जनसंख्या के लिए इस स्तर पर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक न भरें जाएं क्योंकि वे उपयुक्त नहीं हैं । इस प्रकार के परि के लिए इस प्रश्न के सामने "x" दर्ज किया जाए ।

.....9/-

प्रश्न - 9
परिवार को
उपलब्ध सुविधाएं ।

(क) पीने का पानी — यदि परिवार के पास अहाते में पीने के पानी की सुविधा है तो इसे "उपलब्ध" माना जाए ।

(ख) बिजली — यदि परिवार के पास बिजली का कनेक्शन है तो इसे "उपलब्ध" माना जाए चाहे परिवार उसका उपयोग कर रहा हो या नहीं ।

(ग) शौचालय सुविधाएं (केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए) — एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि बड़े नगरीय क्षेत्रों में जहां सारे मकान में एक या अधिक शौचालय हों तो क्या सभी परिवारों के लिए शौचालय सुविधाएं उपलब्ध मानी जाएंगी ? महापंजीकार ने स्पष्ट किया कि इसे मान लिया जाए क्योंकि उक्त सुविधा सभी परिवारों के लिए है ।

प्रश्न - 11
परिवार में
सामान्यत: रहने
वाले विवाहित
दम्पतियों की
संख्या

यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि पति-पत्नी दोनों में से एक पूरी गणना अवधि के दौरान अनुपस्थित रहा और यदि वे दोनों सामान्यत: परिवार में रहते हैं तो उनकी गिनती की जाए । जिन क्षेत्रों में बहु-पति प्रथा प्रचलित हो वहां पर यदि परिवार में स्त्री के एक से अधिक पति हों तो उनको एक ही दम्पति माना जाए ।

बेघर परिवारों के लिए भी यह प्रश्न भरा जाएगा ।

.....10/-

प्रश्न 12 - क्या परिवार खेती करता है

यह सन्देह पैदा हुआ कि क्या काश्तकारी में बागान, फलोद्यान और अन्य सहबद्ध खेतिहर कार्यकलाप शामिल हैं ? इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि इसमें तौलीमिक वर्गीकरण को मुख्य आधार माना गया है । जिसके अनुसार काश्तकारी (अर्थात् काश्तकार और खेतिहर मजदूर) में बागान आदि शामिल नहीं है । तदनुसार ही व्यक्तिगत पर्चों के आर्थिक प्रश्नों के लिए अपनाई गई काश्तकारी की परिभाषा ही यहां भी अपनाई जाएगी । महापंजीकार इस परिभाषा को इस प्रश्न के लिए शामिल करने के बारे में भी सहमत हो गए । आगे, काश्तकारी के लिए भूमि चाहे नकद या जिन्स के रूप में किराए पर हो । इसको भी अनुदेशों में स्पष्ट किया जाएगा ।

प्रश्न - 13 यदि 12 में "हां" तो वर्ग

"झूम" (Jhum) काश्तकारी के मामले में यह स्पष्ट किया गया कि वह निजी भूमि मानी जाएगी ।

परिवार अनुसूची के भाग-I के बहुत से प्रश्न संस्थागत परिवारों के लिए उपयुक्त नहीं होंगे । इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस प्रकार के परिवारों के लिए क्या कुछ प्रश्न भरे जाएं ? तथापि प्रश्न-1 और प्रश्न 15: परिवार की कुल जनसंख्या इन परिवारों के लिए दर्ज की जाएगी । इस मद का स्पष्टीकरण अन्तिम अनुदेशों में किया जाएगा ।

.....11/-

महापंजीकार ने बताया कि व्यक्तिगत पर्चों भरने के बाद प्रशिक्षण कक्षाओं में पैरा 54 से 67 पर विचार किया जाएगा ।

भाग -2 : जनसंख्या रिकार्ड :

महापंजीकार ने बताया कि परिवार अनुसूची के भाग -1 के बाद भाग-2 अर्थात् जनसंख्या रिकार्ड के कालम 1 से 7 भरे जाएंगे । इसकी जनगणना में कवरेज की दृष्टि से काफी महत्ता है क्योंकि परिवार के सभी व्यक्तियों की गणना और आगन्तुकों की एक स्थान पर गिनती करने से परिवार की अभिन्नता का पता चलेगा । यद्यपि व्यक्तियों, परिवार के सदस्यों और आगन्तुकों की गणना के बारे में अनुदेश बहुत स्पष्ट हैं फिर भी प्रशिक्षण कक्षाओं में इसे उदाहरण देकर समझाया जाए । इस बात का ध्यान रखा जाए कि छोटे बच्चों के बारे में विशेष पूछताछ की जाए क्योंकि अक्सर उत्तरदाता उनके बारे में नहीं बताता है ।

तत्पश्चात् कालम 1 से 7 भरने के लिए अनुदेशों पर विचार किया गया । महापंजीकार ने बताया कि असंबंधित व्यक्तियों के संस्थागत परिवारों के लिए भी परिवार अनुसूची भरी जाए । लेकिन यदि किसी आवासीय-गृह में प्रत्येक सदस्य अपने खाने का प्रबन्ध स्वयं करता है और उनको खाना एक ही रसोई से नहीं बनता तो प्रत्येक को एक अलग परिवार मानकर उसकी अलग परिवार अनुसूची भरी जाए ।

कालम 3 के बारे में जो माता की क्रम संख्या लिखने से संबंधित है स्पष्ट किया गया कि अनुदेशों को "आयु" संबंधी प्रश्नन के पैरा 47 के साथ पढ़ा जाए । जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि केवल 10 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए माता की क्रम संख्या लिखनी है ।

.....12/-

यह सुझाव दिया गया कि "आयु" संबंधी कालम 6 में प्रगणकों को कुछ राज्यों में वहां के स्थानीय कैलेन्डर की तारीखें दी जाए ताकि सही आयु का पता चल सके । महापंजीकार ने बताया कि पैरा 47 में "परिवार के मुखिया से संबंध" को अंग्रेजी रुपान्तर में अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है । अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए ।

कालम 7-वैवाहिक स्थिति के बारे में यह बताया गया कि यदि पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे हों परन्तु अभी भी उनका विवाह विद्यमान है तो उन्हें "इस समय विवाहित स्थिति में हैं" दर्ज किया जाएगा "स्वतन्त्र औरत" शब्द को प्रशिक्षण कक्षाओं में स्पष्ट किया जाए ।

विभिन्न राज्यों के जनगणना निदेशकों के इस सुझाव पर विचार करने के लिए महापंजीकार सहमत हो गए कि जनसंख्या रिकार्ड के कालम 1 से 7 तक को भरने के लिए अनुदेश व्यक्तिगत पर्ची भरने के लिए दिए गए अनुदेशों के बाद होने चाहिए क्योंकि यही क्रम प्रगणन द्वारा वास्तविक गणना में अपनाया जाता है । अनुदेशों को तदनुसार ही व्यवस्थित क्रम में रखा जाए ।

कालम 8 से 35 तक भरने के बारे में महापंजीकार ने अनुदेशों को अधिक बढ़ाने की बजाय प्रशिक्षण परिपत्रों द्वारा अतिरिक्त प्रति जांच (क्रास-चेक) करने का सुझाव दिया ।

.....13/-

व्यक्तिगत पर्ची भरने के लिए अनुदेश

जनगणना कार्य निदेशकों ने आरम्भ में ही बताया कि ऐसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को, जिन जिनमें सैम्पल पर्ची 100% आधार — और जिनमें केवल सैम्पल आधार पर भरी जानी है, अनुदेशों के शुरू में ही बता दिया जाए । तथापि, भारत के महापंजीकार ने बताया कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसे प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रशिक्षण कक्षाओं में स्पष्ट किया जाएगा ।

भारत के महापंजीकार ने यह भी बताया कि प्रगणकों को व्यक्तिगत पर्ची कोपैडों को देने से [illegible] प्रत्येक पैड की प्रत्येक व्यक्तिगत पर्ची पर रबर की मोहर से लोकेशन कोडों को अंकित किया जाए ताकि प्रगणक को केवल ग्राम/ वार्ड और प्रगणक ब्लाक कोड ही लिखने पड़ें । इसी तरह प्रत्येक पैड की सभी पर्चियों में पैड नम्बर भी अंकित कर दिया जाए ताकि प्रगणक को केवल पर्ची नम्बर ही लिखना पड़े । ऐसा करने से प्रगणक को कम लिखना पड़ेगा ।

तत्पश्चात् व्यक्तिगत पर्ची भरने के लिए अनुदेशों को पैरावार पढ़ा गया ।

सामान्य पर्ची

प्रश्न 2 : परिवार के मुखिया से संबंध

यह स्पष्ट किया गया कि परिवार के मुखिया के लिए इस कालम में "मुखिया" दर्ज किया जाएगा ।

प्रश्न 6 : मातृभाषा और प्रश्न 7 : अन्य दो भाषाएं जिनका ज्ञान हो

भारत के महापंजीकार ने इस बात पर एक बार फिर जोर दिया कि बताई गई भाषा को ही दर्ज किया जाए । भाषा प्रभाग द्वारा दर्ज की गई भाषा की संवीक्षा की जाएगी और उचित रूप से वर्गीकृत की जाएगी ।

...../..

प्रश्न 8 : राष्ट्रीयता

एक प्रश्न यह उठाया गया कि क्या राष्ट्रीयता नागरिकता के समरूप है ? इस बारे में बताया गया कि केवल राष्ट्रीयता का ही पता लगा कर उसको दर्ज करें अनुदेशों में राष्ट्रीयता और नागरिकता में विभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न 10 : क्या अ0जा0 (1)/अ0ज0 जा0 (2) के सदस्य हैं ?

इस बात को फिर दोहराया गया कि अगर बताई गई जाति/ जनजाति राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सूची में है, तभी अ0जा0/अ0ज0जा0 के लिए कोड "1"/ "2" भरना है । "हरिजन " और आदिवासी" बताई गई जातियों और जनजातियों के बारे में गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, उसके पश्चात् ही इसकी सूचना सभी जनगणना कार्य निदेशकों को यथासमय दी जाएगी ।

प्रश्न 12 ख: कहां तक शिक्षा पाई है ?

देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक योग्यता की विविधताओं और समतुल्यता के प्रश्न पर काफी चर्चा हुई । इस बारे में स्पष्ट किया गया कि शिक्षा मंत्रालय ने इस बारे में व्यापक रूप से विचार किया है और उनके द्वारा तय किए गए विभिन्न शैक्षिक स्तरों की समतुल्यता को ही जनगणना के लिए अपनाया जा सकता है । यदि वास्तविक स्तर या कक्षा नहीं बताई जाती है तो यही पर्याप्त होगा कि सुविदित स्तरों को ही शिक्षा-स्तर दर्ज किया जाए ।

क्या स्नातकों के सभी विषयों को दर्ज किया जाए या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया ।

...../..

यह स्पष्ट किया गया कि केवल मुख्य विषय, चाहे एक ही क्यों न हो, को दर्ज किया जाए । अगर बी०ए०/बी०एस० सी० जैसे पास कोर्सों में कोई मुख्य विषय नहीं है तो विषय दर्ज नहीं किए जाएं ।

हाल ही में लिए गए कुछ निर्णयों के कारण डिग्री धारकों और तकनीकी कार्मिकों के बारे में पैरा 89 की स्थिति बदल गई है । भारत के महापंजीकार ने पैरा 89 के स्थान पर रखे गए संशोधित अनुदेशों को पढ़ा ।

प्रश्न 13 : स्कूल/कालेज में जाते हैं : हां§1§/नहीं §2§

इस प्रश्न की विभिन्न अवस्थाओं के लिए जनगणना कार्य निदेशकों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे । यह सम्भव हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने विश्वविद्यालय में नाम दर्ज करवा लिया हो मगर कालेज में न जा रहा हो बल्कि घर में बैठ कर परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि विश्वविद्यालय में बिना नाम दर्ज कराए घर में बैठकर निजी रूप से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों । ऐसे भी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो कि प्रतियोगितात्मक परीक्षा दे रहें हो लेकिन कोचिंग कक्षाओं में न जा रहे हों । भारत के महापंजीकार ने कहा कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन्हीं व्यक्तियों को "स्कूल/कालेज में जाने वाले" दर्ज किया जाए जोकि वास्तव में कोचिंग कक्षाओं में जा रहे हों । अन्तिम निर्णय लेने से पहले इस बारे में शिक्षा मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जाएगा । अन्तिम निर्णय को अनुदेशों में सम्मिलित कर दिया जाएगा ।

...../..

आर्थिक प्रश्न: 14क, 14ख, 15क और 15ख

आर्थिक प्रश्नों के बारे में महापंजीकार ने कहा कि प्रशिक्षण कक्षाओं में आर्थिक प्रश्नों से संबंधित पैरा 91 से 100 तक के पैरों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए और उसके बाद एक के बाद दूसरे पैरों पर क्रमशः विचार-विमर्श किया जाए । इससे अनुदेशों को समझने में ज्यादा आसानी होगी ।

काम की परिभाषा में आमदनी को सम्मिलित करने के सुझाव पर महापंजीकार ने कहा कि पूर्ववर्ती जनगणना में काम की परिभाषा में आमदनी का पहलू नहीं था और उसे ही अपनाया और स्वीकार किया जाता रहा है । विभिन्न संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न परिभाषाओं के कारण इससे कोई मतभेद या भ्रान्ति पैदा नहीं होगी ।

यह बताया गया कि प्रश्न 14क प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए चाहे वह बूढ़े हो या जवान । बहुत छोटे बच्चों के लिए अगर प्रगणक चाहे तो इस प्रश्न को नहीं पूछेगा ।

प्रश्न 14ख और 15क में मुख्य कार्य के विषय में कई संदेहात्मक प्रश्न पूछे गए । इस बारे में स्पष्ट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता है और सभी प्रकार के कार्य करने की अवधि 183 दिन या इससे अधिक होती है तो यह समझा जाएगा कि उसने वर्ष के अधिकांश समय में काम किया । मुख्य काम वह माना जाएगा जिसमें व्यक्ति ने सबसे अधिक समय काम किया है और उसके द्वारा किया गया अन्य काम

...../..

प्रश्न 15ख में दर्ज किया जाएगा । यह भी स्पष्ट किया गया कि अपने ही उपभोग के लिए किए गए उत्पादन या की गई सेवाओं को काम में नहीं माना जाएगा ।

पैरा 99।। के प्रश्न के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता या या हड़ताल इत्यादि पर नहीं होता यात्रा पर नहीं गया होता तो संदर्भ काल में वह सामान्यत: काम करते रहता । अत: ऐसे व्यक्ति को काम करने वाला माना जाएगा ।

प्रश्न 14क के लिए उन सभी व्यक्तियों को काम करने वाला माना जाएगा जिन्होंने गत वर्ष कुछ ही दिन काम क्यों न किया हो । तथापि, यदि प्रशिक्षण कक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने गत वर्ष में केवल एक ही दिन काम किया हो तो उसे काम करने वाला माना जाए या नहीं ? ऐसी दशा में उस व्यक्ति को काम करने वाला व्यक्ति ही माना जाए ।

दण्डभोगी, धर्मार्थ और पागलखानों के संदर्भ में अवधि "लम्बी अवधि" छ: महीने या उससे अधिक मानी गई । पूर्ण-कालिक सामाजिक, धर्म-सेवक या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को काम करने वाला माना जाएगा । संसद सदस्य, राज्य विधायक स्थानीय निकायों के सदस्य इसमें शामिल होंगे ।

काम नहीं करने वालों के बारे में यह स्पष्ट किया गया कि पूर्ण-कालिक पत्राचार पाठ्यक्रम से अध्ययन करने

वाले व्यक्ति को "विद्यार्थी" समझा जाए । अगर कोई स्त्री पारिवारिक कार्यों के साथ-साथ कालेज में भी पढ़ने जाती है । यद्यपि ऐसी स्थिति नाम-मात्र के लिए हो सकती है तो ऐसी दशा में उस स्त्री को "विद्यार्थी" दर्ज करने में ही प्राथमिकता दी जाए । लेकिन अगर कोई स्त्री मुख्य रूप से पारिवारिक कार्य करती हो लेकिन साथ-साथ अंशकालिक कक्षाएं या पत्राचार कोर्स कर रही हो तो ऐसी दशा में उस स्त्री को "ग0" ही दर्ज किया जाए नकि "वि0" । धार्मिक संस्थानों और धार्मिक कार्यों में कार्यरत व्यक्तियं को भी काम करने वाला माना जाए ।

यह स्पष्ट किया गया कि पारिवारिक उद्योग में अधिकतर काम करने वाले परिवार के सदस्य होने चाहिएं यदि वेतनभोगी व्यक्तियों की संख्या अधिक है तब उसे "अन्य काम" माना जाए न कि "पारिवारिक उद्योग" । यदि परिवार का एक सदस्य दूसरे के पारिवारिक उद्योग में वेतन काम करता है तो उसे पारिवारिक उद्योग मान जाएगा । इसका निश्चय व्यक्ति कहां काम करता है और उसके काम के प्रकार के संबंध में पूछताछ करके निश्चित किया जाएगा ।

प्रश्न 15क और 15ग के उपमदों के क्रम के बारे में यह स्पष्ट किया गया है "व्यक्ति के काम का विवरण" और "उद्योग", "व्यापार" या सेवा के स्वरूप" को अंतः परिवर्तित किया गया है क्योंकि पूर्ववर्ती जनगणनाओं के अनुभव से यह पता चला है कि "व्यक्ति के काम का विवरण" ही क्षेत्र में पहले आता है और उसके बाद वही

...../..

उद्योग आदि के स्वरूप को अच्छी तरह बताता है ।

दूसरा विषय बिन्दु जिसमें शंका उठाई गई थी वह यह थी कि उस परिवार के सदस्यों को क्या माना जाए जो उनके रिश्तेदारों द्वारा चलाए जाने वाले उद्योग में काम करते हैं । यह स्पष्ट किया गया है कि साधारणतया ऐसे व्यक्ति कुछ लाभ जैसे मजदूरी के लिए काम करते हैं और उन्हें "पारिवारिक उद्योग" (दूसरे परिवार का) में काम करने वाला माना जाए न कि पारिवारिक काम करने वाला ।

प्रश्न 16 : यदि 14क या 14ख में "नहीं" तो क्या काम की खोज में हैं/ काम करने के इच्छुक हैं ?

यह प्रश्न उन लोगों से नहीं पूछा जाएगा जो कि पहले से ही काम कर रहे हैं अतः इस प्रश्न में वे व्यक्ति नहीं आएंगे जो अधिक अच्छा काम खोज रहे हैं । ऐसी स्त्री जो घरेलू काम करती है और उसे करते भी रहेगी परन्तु यदि वह यह भी चाहती है कि यदि परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए उसे कुछ और काम मिले तो वह उस काम को भी करने को तैयार है । ऐसी स्थिति में उसे काम की खोज में या काम करने के लिए इच्छुक नहीं मानना चाहिए ।

सैम्पल व्यक्तिगत पर्ची

प्रश्न 1 : जन्म स्थान और प्रश्न 2 : पूर्व निवास स्थान

यह स्पष्ट किया गया कि गणना के समय ग्रामीण/ नगरीय स्थिति को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही दर्ज किया जाए । भारत के महापंजीकार इस सुझाव से सहमत नहीं हुए कि ग्रामीण/नगरीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रगणक को कस्बों की सूची दी जाए । उनके विचार

...../..

से संदर्भ के लिए अत्यधिक कागज़ात देने के कारण प्रगणकों का कार्यभार अनावश्यक तौर पर बढ़ जाएगा । पूर्व परीक्षण में इस प्रश्न को बिना कठिनाई के भरा गया ।

यद्यपि उप मद (क), (ख), और (ग) उन व्यक्तियों के लिए सुसंगत नहीं थे जो विदेश में जन्मे हुए हों या जिनका पिछला निवास-स्थान विदेश में था तथापि प्रश्नों का क्रम बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रगणक बिना किसी कठिनाई से इसका पता लगा लेंगे । तथापि, इसकी प्रशिक्षण कक्षाओं में व्याख्या की जाए ।

यदि जन्म-स्थान/ पूर्व निवास स्थान दोनों उसी नगरीय समूह में है जिसमें गणना की जा रही है तो उसे "ज0" माना जाएगा । तथापि, प्रगणक नगरीय समूह के संघटक क्षेत्र से सम्भवत: परिचित नहीं हों, अत: इसे सम्पादन तथा कोडिंग के समय ध्यान में रखना होगा ।

यह स्पष्ट किया गया कि प्रश्न 1 और 2 में रक्षा और इसी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित अनुदेश, रक्षा कर्मचारियों के अलावा जनगणना परिपत्र में दी गई रक्षा और अन्य श्रेणियों पर भी लागू होंगा ।

कुछ ऐसी विशेष स्थितियों के बारे में, जिनके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, विस्तार से व्याख्या की गई । ऐसी महिला का, जो प्रसव के लिए अपने माता-पिता के घर जाती है, वह उसका इससे पूर्व का निवास स्थान होगा । परन्तु बच्चे के लिए पूर्व का निवास स्थान "ज0" होगा । तथापि, यदि बच्चा प्रसव के स्थान पर (अपनी माता के माता-पिता के घर) अपनी माता के साथ काफी समय तक रहता है तो बच्चे

का भी पूर्व का निवास स्थान भी प्रसव का स्थान होगा । इसके विपरीत, यदि महिला प्रसव के लिए किसी अस्पताल या अन्य स्थान पर जाती है और थोड़े समय बाद अपने घर वापस आ जाती है तो माता तथा बच्चे दोनों का पूर्व का निवास स्थान वह स्थान नहीं माना जाएगा जहां अस्पताल स्थित है ।

प्रश्न 3 : पूर्व-निवास स्थान छोड़ने का कारण

जेल में जाने या वहां से वापस आने का स्थान-परिवर्तन का "अन्य" कारण माना जाए ।

प्रश्न 5(ग): इस समय जीवित बच्चों की सं0

हो सकता है कि तलाक-शुदा महिला को यह पता न हो उससे अन्यत्र रहने वाले बच्चों में इस समय कितने जीवित हैं, ऐसी स्थिति में "अज्ञात" दर्ज किया जाए ।

बेघर जनसंख्या की गणना

भारत के महापंजीकार ने यह बताया कि यद्यपि अनुदेशों में बेघर जनसंख्या की गणना के लिए केवल तारीख 28 फरवरी, 1981 की रात्रि निर्धारित की गई है, तथापि बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े नगरों के लिए ऐसे व्यक्तियों की गणना दो रातों अर्थात् तारीख 27 और 28 फरवरी, 1981 की दो रात्रि में करना चाहिए । विकल्पत: बेघर जनसंख्या की एक ही रात्रि में गणना करने के लिए अधिक प्रगणकों की तैनाती की जाए । यदि यह आशंका हो कि बेघर व्यक्तियों की गणना दो बार हो सकती है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्ची दी जाए जिसमें "जनगणना हो गई" लिखा हो । ऐसा तब किया जाए जब गिनती का कार्य दो रात्रियों में किया जाना हो ।

...../..

बन्दरगाह में खड़े जहाजों की गणना भी 28 फरवरी, 1981 की रात्रि को ही की जानी है और जहाजों को नम्बर दिए जाने हैं। ऐसे रैन-बसेरों की, जिन्हें मकान नम्बर दिए जा चुके हैं, गणना भी 28 फरवरी, 1981 की रात्रि को की जानी है।

जांच कार्य (रिवीजनल राउन्ड)

भारत के महापंजीकार ने यह स्पष्ट किया है कि जांच कार्य के दौरान यदि यह पता चलता है कि किसी परिवार में गणना के लिए जाने के दिन से 1 मार्च, 1981 के सूर्योदय से पहले किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो प्रश्न 6 के समक्ष की गई प्रविष्टि में संशोधन न करें और प्रश्न 5 की प्रविष्टि में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बच्चे को पहले जीवित दर्ज किया जाता है और प्रगणक के अन्तिम दौरे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रश्न 5(ख) के समक्ष की गई प्रविष्टि में भी जांच कार्य के समय संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

इस बात पर भी जोर दिया गया कि यदि जांच कार्य के समय यह पाया जाए कि बहुत से व्यक्ति पहले दौरे के समय गणना करने से छूट गए थे और जांच कार्य के समय उनकी गणना करने में संकोच न करें। जांच कार्य कवरेज की गहन जांच करने की दृष्टि से लाभदायक है।

डिग्री धारकों तथा तकनीकी कार्मिकों के लिए अनुसूचियों के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही अनुदेशों के पैरा 2.19 में संशोधन किया जाएगा।।

...../..

प्रगणक की वर्किंग-शीट भरने के लिए अनुदेश :

संस्थागत परिवारों तथा बेघर परिवारों के लिए वर्किंग-शीट के योग सामान्य परिवारों के लिए वर्किंग-शीट के अन्तिम पेज में लिखा जाए और सबका कुल योग किया जाए । डिग्री धारकों तथा तकनीकी कार्मिकों की अनुसूचियों के बारे में अनुदेशों के पैरा 245 और 246 में संशोधन किया जाएगा ।

जनगणना कार्य निदेशकों ने यह बताया कि इस समय संक्षिप्त मकानसूची की एक प्रति पर्याप्त होगी । महापंजीकार इस सुझाव पर विचार करने के लिए सहमत हुए और कहा कि वे जनगणना कार्य निदेशकों को अपने निर्णय से अवगत कर देंगे ।

अनुदेशों के साथ संलग्न परिशिष्ट :

महापंजीकार ने यह स्पष्ट किया है कि परिशिष्ट II में दिए गए उदाहरण मार्गदर्शन के लिए हैं । पारिवारिक उद्योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए जनगणना कार्य निदेशक प्रशिक्षण कक्षाओं में स्थानीय उदाहरण दे सकते हैं । चार्ज अधिकारियों को भी पारिवारिक उद्योग के स्थानीय उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और प्रगणकों को कहना चाहिए कि वे इन उदाहरणों को प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रस्तुत करें ।

परिशिष्ट III के बारे में इस बात पर बल दिया गया कि व्यवसाय को विस्तार में बताया जाए और प्रशिक्षण कक्षाओं में भी उपयुक्त उदाहरण देकर इस पर बल दिया जाए । औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आर्थिक कार्य कलापों की वर्गीकृत सूची परिशिष्ट-4 में दी गई है इसकी प्रशिक्षण कक्षाओं में भी व्याख्या की जाए ।

तब परिशिष्ट-6 में दिए गए उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया और यह निर्णय लिया गया कि उनका उचित ढंग से विस्तार किया जाए । इसी प्रकार परिशिष्ट-7 में दिए गए उदाहरणों को पढ़ा गया

..... /-

और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि उन्हें आवश्यकता के अनुसार अद्यतन बनाया जाए ।

मकानसूची बनाने के लिए कार्यों से संबंधित प्रगति :

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मकानसूची बनाने के कार्य की व्यवस्थाओं की प्रगति के बारे में पुनरीक्षण किया गया । प्रत्येक जनगणना कार्य निदेशक ने मकानसूची बनाने के कार्य तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरम्भ करने की तारीखें दी । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मकान-सूची बनाने के कार्य की तारीखों को दर्शित करने वाला विवरण अनुलग्नक- "ख" में दिया गया है ।

सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ प्रतिनिधियों ने यह बताया कि मकानसूची बनाने के लिए अनुदेशों में मकान सूची सार का योग करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुदेश सम्मिलित नहीं किए गए हैं । ऐसी स्थितियों में अनुदेशों की विशेष आवश्यकता थी जहां मकान-सूची सार एक से अधिक पृष्ठ में हों । महापंजीकार ने बताया कि इन विषय-बिन्दुओं पर प्रशिक्षण कक्षाओं में व्याख्या की जाएगी ।

मकान-सूची कार्य के लिए व्यवस्था की प्रगति का पुनरीक्षण करते समय, सीमाओं के निर्धारित करने के बारे में जारी किए गए आदेशों से संबंधित मामला भी सामने आया । अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये आदेश जारी किए गए थे, जब कि कुछ राज्य सरकारों के सहमत होने पर भी वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए । महापंजीकार इस मामले में मुख्य सचिवों से पत्र-व्यवहार करने के लिए सहमत हुए ।

उद्यम सूची :

उद्यम सूची भरने के लिए अनुदेशों से संबंधित कुछ विषय बिन्दुओं पर तब चर्चा की गई जब केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के संयुक्त निदेशक

..... /-

श्री ए० वी० के० शास्त्री ने सम्मेलन में भाग लिया ।

कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां विभिन्न कार्य-कलापों के लिए पृथक-पृथक लेखे-जोखे रखे जाते हों, परन्तु ठीक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा हो । ऐसे मामलों में इस प्रकार की क्रिया-कलापों को एक उद्यम मानने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है । सुपर बाजार, जो कि पृथक-पृथक विभागों में बंटा होता है, उदाहरण स्वरूप बताया गया । यह स्पष्ट किया गया कि इसके विभिन्न विभागों को अलग-अलग उद्यम माना जाए ।

दूसरा उदाहरण एक मकान में मिठाई बनाने आदि और दूसरे मकान में उसे बेचने का प्रस्तुत किया गया । महालेखाकार ने बताया कि ये स्पष्ट तौर पर दो उद्यम हैं ।

कालम 8 में दर्ज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साझीदारों द्वारा चलाए जाने वाले उद्यम के मामले से संबंधित है; अ०जा० या अ०ज०जा० के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से जिस जाति के अधिक सदस्य हों, उसके अनुसार दर्ज किया जाएगा । यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साझीदारों की संख्या बराबर है तो अनुसूचित जनजाति के साझेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें ही दर्ज किया जाएगा क्योंकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कमजोर वर्ग माना जाता है ।

...../-

(क) मुद्रण :

यह पूछा गया कि क्या यह आवश्यक है कि परिवार अनुसूची और व्यक्तिगत पर्चों के आर्टपुल स्थानीय भाषा में तैयार करके भारत के महापंजीकार के कार्यालय में विधीक्षा के लिए भेजे जायें । महापंजीकार महोदय ने कहा कि यह आवश्यक है कि अन्तिम मुद्रण में भेजने से पूर्व एक प्रति विधीक्षा के लिए भेजें ।

(ख) प्रत्यक्ष आँकड़े प्रविष्टि (डारेक्ट डाटा ऐण्ट्री) :

आँकड़े प्रविष्टि पद्धति के लिए स्थान निर्धारित करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जनगणना कार्य निदेशकों से संक्षिप्त विचार विमर्श शुरु हुआ ।

बिहार के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि प्रत्यक्ष आँकड़े प्रविष्टि पद्धति आरम्भ करने के लिए वह अब स्थान की व्यवस्था करने में समर्थ हैं और महापंजीकार महोदय को शीघ्र ही प्रस्ताव भेजेंगे ।

गुजरात के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि महापंजीकार के कार्यालय को अनुमानित खर्च अनुमोदन के लिए भेजा है तथा जैसे ही अनुमानित खर्च का अनुमोदन प्राप्त होगा वैसे ही स्थान निर्धारित करने का कार्य प्रारम्भ होगा ।

कर्णाटक के सहायक निदेशक जनगणना कार्य श्री रेवाशेट्टी ने बताया कि मिशन रोड के नए भवन में स्थान उपलब्ध है तथा उन्होंने महापंजीकार के कार्यालय में अनुमानित खर्च (बिजली विद्युत और वातानुकूलन) अनुमोदन के लिए भेजा है ।

मध्य प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि रेडक्रास भवन के बारे में कुछ विवाद चल रहा है तथा वह अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं ।

...../-

महाराष्ट्र के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि यद्यपि वे अभी तक अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करने में सफल नहीं हुए हैं तथापि वह फिलहाल उपलब्ध स्थान से ही कार्य चला लेंगे ।

पंजाब के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि भारत के महापंजीकार के कार्यालय ने डी0डी0ई0 को क्षेत्रीय संगणक केन्द्र में प्रतिष्ठापित करने का मामला पहले मेजर नन्द्रयोग के साथ किया है ।

जनगणना निदेशक, तमिलनाडु ने बताया कि उनके पास प्रत्यक्ष आंकड़े प्रविष्टि पद्धति की व्यवस्था के लिए स्थान है जिसका महापंजीकार के कार्यालय के श्री चतुर्वेदी ने निरीक्षण कर लिया है परन्तु कर्मचारियों के लिए स्थान की वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है ।

उत्तर प्रदेश के श्री गुप्त ने सूचित किया कि उन्होंने महापंजीकार के कार्यालय को किराए पर स्थान लेने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है ।

यद्यपि जयपुर तथा कटक में प्रत्यक्ष आंकड़े प्रविष्टि पद्धति को आरम्भ करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु राजस्थान और उड़ीसा के जनगणना कार्य निदेशकों ने अपना कार्यालय प्रत्यक्ष आंकड़े प्रविष्टि पद्धति की व्यवस्था के लिए प्रस्तावित किया । उड़ीसा के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि वह प्रत्यक्ष आंकड़े प्रविष्टि पद्धति की स्थापना जनगणना भवन की नई बिल्डिंग में करेंगे जोकि कुछ ही समय में तैयार हो जाएगी । राजस्थान के श्री श्रीवास्तव ने कहा कि वे इस बारे में प्रस्ताव शीघ्र ही भेजेंगे ।

महापंजीकार महोदय ने बताया कि पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण कलकत्ता में प्रत्यक्ष आंकड़े प्रविष्टि के प्रतिष्ठापन का कार्य कम प्राथमिकता में होगा ।

..../..

(ग) मानचित्र :

महापंजीकार महोदय ने 1981 की भारत की जनगणना के लिए मानचित्र कार्यक्रम अर्थात् ज़िला जनगणना पुस्तिका के लिए अधिकार क्षेत्र के मानचित्र, जनगणना मानचित्रावलियां, नगरीय क्षेत्रों और मानक नगरीय क्षेत्रों के भूमि उपयोग के मानचित्रों को प्रस्तावित किया । उन्होंने आगे बताया कि जनगणना मानचित्रावली, भूमि उपयोग मानचित्रों और मानक नगरीय क्षेत्रों के मानचित्रों के लिए विस्तृत अनुदेश यथा समय भेजे जाएंगे ।

शुरु में ज़िला/तालुक/तहसील/पुलिस स्टेशन मानचित्रों के बारे में विचार-विमर्श किया गया क्योंकि इनके बारे में रुपरेखा पहले ही जनगणना कार्य निदेशकों को परिचालित की गई थी ।

बिहार के जनगणना कार्य निदेशक ने सुझाव दिया कि ज़िला मानचित्र और सी डी ब्लाक मानचित्र का आकार वही रखा जाए जो 1971 की जनगणना में था । उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विभिन्न मदों जैसे कि ग्राम की जनसंख्या, सेवा केन्द्र, सड़क और नगरीय क्षेत्र के निशान वही रखे जाएं जो 1971 की जनगणना मानचित्रों में थे । महापंजीकार महोदय ने कहा कि वह इसकी जाँच करके ही सूचित करेंगे । उड़ीसा के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि उन्हें मानचित्र में खण्ड विकास की सीमा दिखाने में कठिनाई है क्योंकि ये तहसील/पुलिस स्टेशन की सीमाओं को काटते हैं ।

पंजाब के जनगणना कार्य निदेश ने बताया कि गांवों में उपलब्ध सेवा सुविधाओं को विस्तृत तौर पर जिला जनगणना पुस्तिका मानचित्र में दिखाने की आवश्यकता है ।

...../-

आन्ध्र प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक ने राज्य सरकार के विचाराधीन प्रशासनिक सीमाओं के परिवर्तन के बारे में बताया । महापंजीकार महोदय राज्य सरकार को इस बारे में लिखने के लिए सहमत हुए ।

असम के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार से अभी तक अधिकारिता परिवर्तन के बारे में सूचना नहीं मिली है जिसके कारण मानचित्रों के परिकलन में थोड़ी देर हो सकती है । इसके अतिरिक्त उन्होंने कर्मचारियों की कठिनाईयों को भी बताया और यह अनुरोध किया कि रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाए तथा कुछ नए पदों का सृजन किया जाए । महापंजीकार महोदय ने कहा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन के बारे में निर्णय करके शीघ्र सूचित किया जाएगा ।

महाराष्ट्र के जनगणना कार्य निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार के मानचित्रों में ग्रामीण सीमाएं अभी तक नहीं दिखाई गई हैं । इसलिए जनगणना मानचित्रों में ग्राम सीमाएं न दिखाई जाएं ।

अन्त में महापंजीकार महोदय ने कहा कि किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समस्याओं के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण यथासमय में विभिन्न परिपत्रों के द्वारा भेजे जाएंगे ।

(घ) सामाजिक अध्ययन :

यह बताया गया कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नगरीय समूह बनाने के लिए (फ्रेम) तैयार है । कुछ राज्यों में जहां पूरक सूची तैयार की जानी है, महापंजीकार के कार्यालय से उसे भी अनुमोदित करवाया जाए । ऐसी पूरक सूची भेजते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि जहां तक सम्भव हो ये 1971 की जनगणना की तरह ही हों । पूरक सूची में केवल उन्हीं स्थानों को लिया जाए जो वास्तव में नगरीय

...../-

समूह में शामिल करने योग्य हों । उन्होंने यह भी बताया कि मेरठ, कालीकट, विशाखा-पट्टनम और कुछ अन्य शहरों के मामले में नगरीय समूह की दोबारा जाँच करने की आवश्यकता है ।

महापंजीकार महोदय ने बताया कि 1981 की जनगणना के अंग के रूप में जनगणना के पश्चात कुछ विशेष अध्ययन किए जाएँगे । उन कुछ ग्रामों के पुन: अध्ययन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिनका 1961 की जनगणना के दौरान अध्ययन किया गया था । उन्होंने बतालाया कि हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कुछ अध्ययन किए जाने की सम्भावना है । इनके सम्बन्ध में यथासमय निर्णय लिया जाएगा ।

जनगणना कार्य निदेशकों की ओर से पंजाब के जनगणना कार्य निदेशक श्री धीर ने महापंजीकार महोदय को जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का उन्हें अवसर प्रदान करने के लारे में धन्यवाद दिया । उन्होंने महापंजीकार महोदय को धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने के लिए भी धन्यवाद दिया । उन्होंने कर्णाटक के जनगणना कार्य निदेशक और उनके कर्मचारियों को भी मैसूर में सम्मेलन करने और प्रतिनिधियों के आवास की यथासम्भव व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद दिया ।

अनुलग्नक -- "क"

भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची

क्रम सं0	भाग लेने वाले प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	राज्य/विभाग
1.	श्री आर0ए0 नायक	राजस्व आयुक्त	कर्णाटक सरकार
2.	श्री जय कुमार अंगोल	मंडल आयुक्त	कर्णाटक सरकार
जनगणना कार्य निदेशक			
3.	श्री एस0एस0 जय राव	निदेशक	आंध्र प्रदेश
4.	श्री बी0 सत्यनारायण	सहायक निदेशक	आंध्र प्रदेश
5.	श्री एन0 के0चौधरी	निदेशक	असम
6.	श्री ए0के0 बरकाकोटी	उप निदेशक	असम
7.	श्री बी0बी0 लाल	निदेशक	बिहार
8.	श्री आर0डी0 अग्रवाल	उप निदेशक	बिहार
9.	श्री आर0एस0 छाया	निदेशक	गुजरात
10.	श्री जे0के0 पटेल	उप निदेशक	गुजरात
11.	श्री ओ0पी0 भारद्वाज	निदेशक	हरियाणा
12.	श्री आर0के0 अग्रवाल	उप निदेशक	हरियाणा
13.	श्री के0एल0 नेगी	निदेशक	हिमाचल प्रदेश
14.	श्री के0सी0 सूरी	उप निदेशक	हिमाचल प्रदेश
15.	श्री ए0एच0 खान	निदेशक	जम्मू और कश्मीर
16.	श्री अब्दुल गनी	उप निदेशक	जम्मू और कश्मीर
17.	श्री बी0के0 दास	निदेशक	कर्णाटक
18.	श्री ल0एस0 नरसिम्हा मूर्ति	उप निदेशक	कर्णाटक
19.	श्री वाई0जी0 कृष्णामूर्ति	सहायक निदेशक	कर्णाटक
20.	श्री आर0वाई0 रेवाशेट्टी	सहायक निदेशक	कर्णाटक

...../..

21. श्री एन0एच0 चन्द्र मौली	मुख्य सहायक	कर्णाटक
22. श्री एम0एस0 रामचन्द्र	अन्वेषक	कर्णाटक
23. श्री पी0 नानुण्डा	अन्वेषक	कर्णाटक
24. श्री एस0आर0 राघवेन्द्र राव	अन्वेषक	कर्णाटक
25. श्री एच0आर0 केशव मूर्ति	अन्वेषक	कर्णाटक
26. श्री जे0एस0 राजू	वरिष्ठ आशुलिपिक	कर्णाटक
27. श्री एम0वी0यू0 नम्बियार	निदेशक	केरल
28. श्री बी0टी0 पिल्ले	उप निदेशक	केरल
29. श्री के0सी0 दुबे	निदेशक	मध्य प्रदेश
30. श्री एम0एल0 शर्मा	उप निदेशक	मध्य प्रदेश
31. श्री पी0सी0 शर्मा	उप निदेशक	मध्य प्रदेश
32. श्री पी0पी0 महाना	निदेशक	महाराष्ट्र
33. श्री ए0डब्लयू0 महात्मे	उप निदेशक	महाराष्ट्र
34. श्री आर0के0 बिरेन्द्र सिंह	निदेशक	मणिपुर
35. श्री एस0 बिरेन्द्र सिंह	सारपीकरण अधिकारी	मणिपुर
36. श्री जे0 तायेंग	निदेशक	मेघालय
37. श्री एल0 खरपूरिया	उप निदेशक	मेघालय
38. श्री डैनियल कैन्ट	निदेशक	नागालैण्ड
39. श्री ए0सी0 बाल	उप निदेशक	नागालैण्ड
40. श्री ए0आर0 नन्दा	निदेशक	उड़ीसा
41. श्री बी0सी0 दास	उप निदेशक	उड़ीसा
42. श्री डी0एन0 धीर	निदेशक	पंजाब
43. श्री जे0सी0 कालरा	उप निदेशक	पंजाब
44. श्री आई0सी0 श्रीवास्तव	निदेशक	राजस्थान
45. श्री एस0आर0 लुहाड़िया	उप निदेशक	राजस्थान

...../..

46.	श्री जे0के0 थापा	निदेशक	सिक्किम
47.	श्री ए0एस0 डागे	उप निदेशक	सिक्किम
48.	श्री ए0पी0 मुथुस्वामी	निदेशक	तमिल नाडु
49.	श्री एन0 रामा राव	उप निदेशक	तमिल नाडु
50.	श्री एस0आर0 चक्रवर्ती	निदेशक	त्रिपुरा
51.	श्री डी0के0 चौधरी	अन्वेषक	त्रिपुरा
52.	श्री रविन्द्र गुप्त	निदेशक	उत्तर प्रदेश
53.	श्री एस0के0 अग्रवाल	उप निदेशक	उत्तर प्रदेश
54.	श्री वी0के0 भार्गव	उप निदेशक	उत्तर प्रदेश
55.	श्री एम0सी0 पडालिया	सहायक निदेशक	उत्तर प्रदेश
56.	श्री ए0एस0 नेगी	साहित्यकी सहायक	उत्तर प्रदेश
57.	श्री एस0एन0 घोष	निदेशक	पश्चिम बंगाल
58.	श्री एस0 सिन्हा	उप निदेशक	पश्चिम बंगाल
59.	श्री एस0पी0 शर्मा	सहायक निदेशक	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
60.	श्री एम0बी0 राय	निदेशक	अरूणाचल प्रदेश
61.	श्री बी0 कुमार	उप निदेशक	अरूणाचल प्रदेश
62.	श्री बी0डी0 शर्मा	सहायक निदेशक	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
63.	श्री के0बी0 लखनपाल	अन्वेषक	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
64.	श्री जगदीश सिंह	उप निदेशक	दिल्ली
65.	श्री एम0एल0 शर्मा	अन्वेषक	दिल्ली

...../..

66.	श्री एस0के0 गन्धे	निदेशक	गोवा, दमन, दीव और दादर और नागर हवेली
67.	श्री एस0 राजेन्द्रन	उप निदेशक	गोवा, दमन, दीव और दादर और नागर हवेली
68.	श्री पी0एम0 नायर	निदेशक	लक्षद्वीप
69.	श्री ए0 दत्ता	सहायक निदेशक	लक्षद्वीप
70.	श्री पी0 लालनिथंगा	निदेशक	मिजोरम
71.	श्री पी0एल0 सामी	निदेशक	पाण्डिचेरी
72.	श्री एम0 नागप्पन	सहायक निदेशक	पाण्डिचेरी

केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन

73.	श्री ए0वी0के0 शास्त्री	संयुक्त निदेशक	नई दिल्ली

महापंजीकार का कार्यालय

74.	श्री पी0 पद्मनाभ	महापंजीकार, भारत	
75.	श्री के0के0 चक्रवर्ती	उप महापंजीकार (जनगणना और सारणीकरण	
76.	श्री वी0पी0 पाण्डे	उप महापंजीकार, भारत	
77.	श्री एन0जी0 नाग	सहायक महापंजीकार (एस0एस0)	
78.	श्री बी0के0 राय	सहायक महापंजीकार (मानचित्र)	
79.	श्री बी0पी0 महापात्रा	सहायक महापंजीकार (भाषा)	
80.	कु0 जी0 सुगुना कुमारी	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	
81.	श्री एस0सी0 श्रीवास्तव	सहायक केन्द्रीय सारणीकरण अधिकारी	
82.	श्री के0एस0 नटराजन	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	
83.	श्री अर्द्धमान सिंह	उप निदेशक	
84.	श्री एस0एन0 चतुर्वेदी	उप निदेशक	

...../..

85.	श्री के0आर0 उन्नी	उप निदेशक
86.	श्री तीरथ दास	उप निदेशक
87.	श्री के0एन0 पन्त	हिन्दी अधिकारी
88.	श्री एस0 राजगोपालन	उप निदेशक
89.	श्री ओ0पी0 शर्मा	सहायक निदेशक
90.	श्री आर0के0 भाटिया	सहायक निदेशक
91.	श्री प्रेम नरयानी	महापंजीकार के निजी सचिव
92.	श्री रमेश डी0 अजवानी	तकनीकी सहायक(वी0टी0)

...../..

अनुलग्नक-II

मकान सूची कार्य के लिए कैलेण्डर-1980

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवधि	
	समकालिक क्षेत्र	गैर समकालिक क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	मई 1980	
असम	1•5•80 -31•5•80	
बिहार	3•4•80 -18•4•80	
गुजरात	15•7•80 -31•7•80	
हरियाणा	1•4•80 -30•4•80	
हिमाचल प्रदेश	10•4•80 -10•5•80	15•5•80 लाहौल और स्पिती 1•7•80
जम्मू और कश्मीर		
जम्मू प्रान्त	1•3•80 -31•3•80	16•8•80 - 10•9•80
कश्मीर प्रान्त	1•5•80 -31•5•80	16•8•80 - 10•9•80
कर्णाटक	1•4•80 -31•5•80	
केरल	1•3•80 -31•5•80	
मध्य प्रदेश	1•4•80 -31•5•80	
महाराष्ट्र	1•4•80 -31•5•80	
मणिपुर	सितम्बर 1980	
मेघालय	7•5•80 -30•6•80	
नागालैण्ड	1•5•80 -30•5•80	
उड़ीसा	7•4•80 - 6•5•80	
पंजाब	1•4•80 -30•4•80	
राजस्थान	25•3•80 -15•4•80	
सिक्किम	15•4•80 -15•5•80	जून 1980 गणना और मकान सूची कार्य
तमिलनाडु	21•7•80 -20•8•80	

...

त्रिपुरा	15•4•80 -15•5•80	
उत्तर प्रदेश	11•4•80 -30•4•80	1•4•80 -28•4•80
पश्चिम बंगाल	20•8•80 -12•10•80	
अण्डमान, निकोबार, द्वीप समूह	1•9•80 -15•10•80	दिसम्बर, 80 से जनवरी, 198
अरुणाचल प्रदेश	1•3•80 -30•4•80	
चण्डीगढ़	1•5•80 -31•5•80	
दादर और नागर हवेली	10•3•80 -15•4•80	
दिल्ली	1•9•80 -30•9•80	
गोवा, दमन और दीव	10•3•80 -15•4•80	
लक्षद्वीप	10•3•80 -30•3•80	
मिजोरम	1•9•80 -30•9•80	
पाण्डिचेरी	21•7•80 -10•8•80	